

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक-1553/14-1(FP/UP/Road/155328/2022) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 11.11.2022।

सेवा में,

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बागपत।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 वागपत द्वारा "Improvement to spur of NH-709AD Muzaffarnagar Bypass from Km 72+600 of NH-709AD to km 113+450 of NH 334 near Muzaffarnagar town (Design Km 0+000 to km 10+135)" हेतु 5.597592 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक विभिन्न प्रजातियों के 461 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 8वी0/यू0पी0/06/258/2022/एफ0सी0/664 दिनांक-02.11.2022।

जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 वागपत द्वारा "Improvement to spur of NH-709AD Muzaffarnagar Bypass from Km 72+600 of NH-709AD to km 113+450 of NH 334 near Muzaffarnagar town (Design Km 0+000 to km 10+135)" हेतु 5.597592 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक विभिन्न प्रजातियों के 461 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-02.11.2022 जो अधोहस्ताक्षरी के साथ -साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1)जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-02.11.2022 में उल्लिखित शर्त संख्या-3 व शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है-

1-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि-					
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(हे0में)	दर	धनराशि (रू0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6
शर्त संख्या-3	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	12.0 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि		2831600.00	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
2- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि ( भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/ 2011-एफ0सी0(VOI-1) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)					
शर्त संख्या-4	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	5.597592 हे0	957780.00 प्रति हे0	5361262.00	
		योग-		8192862.00	

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक-02.11.2022 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-3 के अनुपालन में 12.0 हे0 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रूपये-2831600.00(रूपये अट्टाईस लाख इक्कीस हजार छः सौ मात्र) एवं शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 5.597592 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रूपये-5361262.00 (रूपये तिरेपन लाख इकसठ हजार दो सौ बासठ मात्र), कुल योग-8192862.00 (रूपये इक्यासी लाख बानवे हजार आठ सौ बासठ मात्र) की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 02.11.2022 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 26 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रैत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया प्रतेल)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर।

संख्या 1553/14-1(FP/UP/Road/155328/2022) दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

3-प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को शर्त संख्या- 02 व 03 के क्रम में।

(कन्हैया प्रतेल)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर।